न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ0

18/5/19 पत्रावली प्रकरण कोर्ट में पेश हुई। दोनों पक्षों को ए.डी. नोटिस बाद स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित भूमि की मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली नियमानुसार तैयार कर के बाद में पेश की जावे तथा बाद अग्रिम सुनवाई बाद होवे।